उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-12
संख्या- 123/2025/1140(2)-23-12-2025-1679310
दिनांकः 30 सितम्बर, 2025

शुद्धि-पत्र

अवगत कराना है कि शासनादेश पोर्टल पर अपलोड शासनादेश सं0-120 /2025//001-1140-23-12-2025-1679310, दिनांक 26.09.2025 के प्रस्तर-1 की तालिका के कॉलम-2 में टंकण त्रुटिवश खण्ड/जनपद का नाम-प्रा0ख0 बदायूँ के स्थान पर नि0ख0 मुजफ्फरनगर अंकित हो गया है, जिसका वास्तविक खण्ड/जनपद का नाम-प्रा0ख0 बदायूँ है।

2. अत: उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 की तालिका के कॉलम-2 में अंकित खण्ड/जनपद का नाम-नि0ख0 मुजफ्फरनगर के स्थान पर प्रा0ख0 बदायूँ पढ़ा एवं समझा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 26.09.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष नियम व शर्तें यथावत हैं।

(रिपुंजय गुप्ता)
उप सचिव

सं0-123/2025/1140(3)-23-12-2025-1679310 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें।
4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
7- मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, बरेली क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, बरेली।
8- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बदायूँ।
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रिपुंजय गुप्ता)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in